राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर

बद्री / प्रभूदयाल मु.नं. 34/2022

20.07.22 अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र व जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे काउन्टर टी आई की प्रति पेश की। शामिल मिसल की गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा है कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थी/रेस्पो0 ने केवल मात्र ख0न0 59 व 60 के संबंध मे रिफिल चाही गई थी। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा जबाब पेश कर ख0न0 47,48,49, 54,55, 56 ,57, 59,60 के बाबत उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करने करने की रिलीफ चाही गई थी। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ख0न0 54 को छोडकर अन्य खसरा नम्बरान बाबब उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। जबकि विवादित आराजीयात ख0न0 54 को उसमे शामिल नही किया गया है। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र ख0न0 54 के बाबत कोई स्थगन आदेश पारित नही किया है या सहवन से रह गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह भी अंकित नही किया है कि ख0न0 54 के सबंध मे भी कोई विवाद है या नही है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 98/19 निर्णय दिनांक 14.7.2021 को अपास्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र एवं अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब अनुसार उभयपक्ष को सुनकर प्रत्येक ख0 न0 के सबंध मे विधि अनुसार निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के यहॉ दिनांक 16.08.2022 को उपस्थित होवे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner